

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
रामपुर।

सेवा में

प्रबन्धक

एकमे स्कूल ऑफ लर्निंग
फुलसंगा, बिलासपुर, रामपुर।

पत्रांक/जू0हा0स्कू0मा0/ 36885-91 /2015-16 दिनांक: 15-12-15

विषय:-अशासकीय नर्सरी से कक्षा 8 तक की (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको मण्डलीय मान्यता समिति द्वारा शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18 (20)/91 लखनऊ दिनांक 08-05-13 के प्राविधानों के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुसार विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नर्सरी से 8 तक की मान्यता नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है। मान्यता निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं :-

1. प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के शिक्षण के लिए उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की धारा-6 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अर्हताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा-कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।
2. विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परीक्षाकाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
3. विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
4. भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
6. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
7. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगें जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. विद्यालय द्वारा रू0 5000/- की धनराशि का एक स्थाई कोष बनाया जायेगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम में प्रतिभूत किया जायेगा।
9. विद्यालय द्वारा पंजिकरण शुल्क, स्कूल भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित है।
10. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
11. मान्यता प्राप्त विद्यालय 25 प्रतिशत अलाभित समूह के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे।
12. प्री-प्राइमरी/प्राइमरी/जूनियर स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र संख्या 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में कक्षावार उतने ही छात्र-छात्राओं का प्रवेश दिया जाये जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो।
13. विद्यालय के कैचमेंट एरिया में न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो सके। न्यूनतम छात्र संख्या निम्नवत् होना अपेक्षित है :-

- (क) प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल 275 (10 कक्षाएँ)
- अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से यह अपेक्षित होगा कि एन0सी0ई0आर0टी0/एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित अथवा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन-पाठन कराया जाय। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन-पाठन न कराया जाय और किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का क्रय किये जाने हेतु छात्रों पर दबाव न बनाया जाय न ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यालयों का नाम मुद्रित कराकर क्रय हेतु बाध्य किया जाये, अन्यथा ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

उपरोक्त का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा कूटरचना/तथ्योंगोपन/मान्यता की शर्तों में उल्लंघन होने से संबंधित कोई तथ्य संज्ञान में पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धीकरण का होगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद-विवाद योजित नहीं किया जायेगा।

(एस0 के0 तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
रामपुर।

पृ0सं0/ जू0हा0स्कू0मा0/ /2015-16 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रामपुर।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामपुर।
5. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, रामपुर।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, रामपुर।
7. गार्ड फ़ाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
रामपुर।